न्यायालय नायब तहसीलदार, फतेहपुर जिला सीकर

मु0 न0	दायर दिनांक	अ0 धा0	निर्णय दिनांक
48/17	28.08.17	91 एल0आर0 एक्ट	13.10.2017

सरकार बनाम सुरेश पुत्र सुखा राम जाति–ब्राहम्ण निवासी–भिकमसरा तहसील फतेहपुर

निर्णय

13.10.2017 पत्रावली आज पेश हुई । गैरसायल अनुपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का नयाबास ने सम्वत 2074 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की, कि **मोजा ग्राम भिकमसरा के राजकीय भूमि ख0न0 220 रकबा 4.26 है0 किस्म चारागाह में से 0.02 है0 पर सुरेश पुत्र सुखा राम जाति–ब्राहम्ण निवासी–भिकमसरा ने खाई बना कर** अतिक्रमण किया है । रिपोर्ट पटवारी हल्का नयाबास के आधार पर प्रकरण राज0 लैण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर गैरसायल को अ0 धा0 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलबी वास्ते जवाबदेही की गई । गैरसायल ने जवाब नोटिस पेश नहीं किया, ना ही अतिक्रमण के संबंध में कोई साक्ष्य सबूत पेश करना चाहता है । अतः **गैर सायल के विरूद्व दिनांक 27.09.2017 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।**

रिपोर्ट पटवारी हल्का नयाबास एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । गैर सायल द्वारा अतिक्रमित भूमि पर अतिक्रमण किया जाना साबित होता है । अतः गैर सायल को राज0 लैण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा **गैर सायल सुरेश पुत्र सुखा राम जाति–ब्राहम्ण निवासी–भिकमसरा के राजकीय भूमि ख0न0 220 रकबा 4.26 है0 किस्म चारागाह में से 0.02 है0 भूमि से आदेश बेदखली पारित किया जाता है ।** भू0अ0नि0 फतेहपुर को आदेश दिया जाता है कि गैर सायल को अतिक्रमित भूमि से भौतिक रूप से बेदखल कर बेदखली रिपोर्ट पेश करें ।

गैर सायल द्वारा राजकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिये जाने के दण्ड स्वरूप सरह **लगान 0.10 रू का 50 गुणा तावान की कुल राशि 5/–** रूपये बतौर शास्ती आरोपित किये जाते है । तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को मांग कायमी एवं वसूली हेतु लिखा जावें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हो । निर्णय आज दिनांक 13.10.2017 को मेरे द्वारा टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

नायब तहसीलदार
तहसील फतेहपुर – सीकर